



भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

स्पीड पोस्ट द्वारा
निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

फा0 सं0- 56/286/2014/रा0द0अनु0-1

दिनांक: 16 जुलाई, 2015

सेवा में,

अध्यक्ष,
इंडियन बिजनेस पार्टी,
1207, प्रगति टॉवर,
26-राजेन्द्र प्लेस,
नई दिल्ली-110008

विषय:- "इंडियन बिजनेस पार्टी"-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दल के रूप में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे, यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग ने "इंडियन बिजनेस पार्टी" का राजनैतिक दल के रूप में पंजीकरण करने के लिए आपके दिनांक 31.10.2014 के आवेदन और उक्त आवेदन-पत्र में विवरण/प्रकथन के समर्थन में प्रस्तुत कागजातों और दल के प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों द्वारा उक्त आवेदन के सम्बन्ध में दिनांक 21.05.2015 को आयोग के समक्ष दी गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद तथा यह ध्यान में रख कर कि समाचार पत्रों में आवेदक द्वारा प्रकाशित पब्लिक नोटिस के जवाब में उक्त नाम से पार्टी के पंजीकरण पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन "इंडियन बिजनेस पार्टी" को दिनांक 13.07.2015 से राजनैतिक दल के रूप में पंजीकृत कर लिया है।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क की उपधारा (9) में यथा उपबंधित दल अपने नाम, मुख्यालय, पदाधिकारी, पते या अन्य किसी तात्त्विक मामले में, यदि कोई हो तो, किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना आयोग को शीघ्र देगा। इस प्रकार के परिवर्तन की सूचना निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ भेजी जाएगी:-

- (i) दल के संविधान में निर्धारित सक्षम समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प तथा उस बैठक का सम्पूर्ण कार्यवृत्त जिसमें ऐसे परिवर्तन/संशोधन का निर्णय लिया गया है, कि एक प्रमाणित प्रति।
- (ii) उपरोक्त बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों के नाम की सूची।
- (iii) उपरोक्त बैठक में उपस्थिति रजिस्टर का उद्धरण (extract) जिसमें भाग लेने वाले सदस्यों के हस्ताक्षर हों, की एक प्रमाणित प्रति।

Tel : 011-23052205-18 Fax: 011-23052223-25, Website : www.eci.nic.in

"मजबूत लोकतंत्र - सबकी भागीदारी"

Greater participation for a stronger democracy


3. यह भी उल्लेखनीय है कि यह पंजीकरण दल को किसी अन्य चिन्ह को आरक्षित करने का अधिकार नहीं देता है। निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 12 के अधीन निर्वाचन में दल द्वारा विधिवत रूप से खड़े किए गए अभ्यर्थी, मुक्त प्रतीकों के आबंटन में निर्दलीय अभ्यर्थियों के ऊपर वरीयता का लाभ पाने के पात्र होंगे। तथापि, प्रतीक आदेश के पैरा 10 ख के प्रावधानों के अधीन लोक सभा या राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन में कम से कम 5% सीटों से चुनाव लड़ने वाले पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी को मुक्त प्रतीकों की सूची में से एक ही प्रतीक आबंटित किया जाएगा, बशर्त कि पार्टी उक्त पैरा 10ख में उल्लिखित प्रत्येक शर्त को पूरा करती हो।

4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ख और 29ग के प्रावधानों के अंतर्गत (राजनैतिक दलों को अंशदान से संबंधित), दल को एक वित्तीय वर्ष में ₹0 20,000/- से अधिक प्राप्त संदान/अंशदान के बारे में निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में संलग्न प्रारूप 24क में एक रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसी रिपोर्ट में दल की स्थायी खाता संख्या (PAN) का विवरण देना होता है। अतः आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने दल का स्थायी खाता संख्या (PAN) प्राप्त कर आयोग को उसका विवरण दल के पंजीकरण से छः माह के भीतर सूचित कर दें।

5. आपके दल की पंजीकरण संख्या 56/286/2014/रा0द0 अनु0-1 है।

6. यह भी सूचित किया जाता है कि आयोग का राजनैतिक दलों के झण्डे से कोई सम्बन्ध नहीं है।

भवदीय,



(वरिन्दर कुमार)


सचिव

फा0 सं0 56/286/2014/रा0द0अनु0-1

दिनांक: 16 जुलाई, 2015

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली।
2. राज्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, निगम भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006.
3. राजनैतिक दल अनुभाग - III
4. गार्ड फाईल।



(वरिन्दर कुमार)

सचिव